

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

217/2019

- 21.08.2019

अनवान

अर्जुन सिंह पिता रामसिंह राजपुत नि. सुजानपुरा तह0 जहाजपुर
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री शंकर पिता देवकरण धाकड नि. सुजानपुरा तह0 जहाजपुर
2. श्री जगदीश पिता देवकरण धाकड नि. सुजानपुरा तह0 जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 11.12.2019

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम सुजानपुरा प0 ह0 किशनगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 62/4 शा.न. 53 रकबा 5.00 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सुजानपुरा प0 ह0 किशनगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 62/4 शा.न. 53 रकबा 5.00 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजुरी का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 800 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

